सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/90** दायर दिनांक **19.06.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हजारीराम पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी खिंचियाबासनी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मांगीलाल पुत्र छोटूराम 2. सोहनराम पुत्र छोटूराम 3. लिछमण पुत्र सुवटिया 4. तुलछीराम पुत्र सुवटिया 5. रामेश्वर पुत्र गुदडराम 6. श्रवण पुत्र गुदडराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा— 88 R.T. Act.

उपस्थित—

1. श्री इस्लामुदीन वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **21.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 एक ही पिता की संतान है। वंशावली वाद के साथ पेश है। खसरा सं0 228 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा व खसरा सं0 245 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा बारानी प्रथम ग्राम खिंचियाबासनी में अवस्थित है। जमाबन्दी वाद के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त व पैतृक कृषि भूमियां है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा वंशानुगत रूप से चला आ रहा है। खसरा सं0 228 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा में वादी के पिता के 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार खसरा सं0 245 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा में वादी के पिता के 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुरूप काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 कर्ता खानदान होने के कारण वादी के पिता की मृत्यू पश्चात प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 ने केवल मात्र अपने नाम नामान्तरकरण भरवा लिया जबकि उपरोक्त खसरान में विरासत के आधार पर वादी का हिस्सा भी अवस्थित है। इसी अनुरूप वादी मौके पर काबिज काश्तकार चला आ रहा है। इस कारण वादी को अपने पिता के हिस्सों में अपना हिस्सा खसरा सं0 228 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा में वादी के पिता के 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा व खसरा सं0 245 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा में वादी के पिता के 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा का कानूनन उद्घोषणा कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद खिंचियाबासनी के खसरा सं0 228 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा में वादी के पिता के 1/2 हिस्सा में 1/3

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015/90
दायर दिनांक 19.06.2015, निर्णय दिनांक 21.06.2017
हजारीराम बनाम मांगीलाल, वगैरा।

हिस्सा व खसरा सं0 245 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा में वादी के पिता के 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प बेगसर में पेश हुई। वादी व वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। मजमें आम में जानकारी में आया कि वादी छोटूराम का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 का सगा भाई है। उपरोक्त खसरान में वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है जो किया जाना उचित है। रेकर्ड का अवलोकन किया।

अतः बाद विवचेन, मजमें आम में वादी का दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद खिंचियाबासनी के खसरा सं0 228 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा में वादी के पिता के 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा व खसरा सं0 245 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा में वादी के पिता के 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बेगसर

निर्णय आज दिनांक **21.06.2017** को कोर्ट कैम्प–बेगसर में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बेगसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/90 दायर दिनांक 19.06.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. हजारीराम पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी खिंचियाबासनी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मांगीलाल पुत्र छोटूराम 2. सोहनराम पुत्र छोटूराम 3. लिछमण पुत्र सुवटिया 4. तुलछीराम पुत्र सुवटिया 5. रामेश्वर पुत्र गुदडराम 6. श्रवण पुत्र गुदडराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88 R.T. Act.

दिनांक 21.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद खिंचियाबासनी के खसरा सं0 228 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा में वादी के पिता के 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा व खसरा सं0 245 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा में वादी के पिता के 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बेगसर में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प बेगसर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बेगसर

Scanned by CamScanner